रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082021-228779
CG-DL-E-05082021-228779

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2021/श्रावण 14, 1943
No. 440] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2021/SHRAVANA 14, 1943

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 539(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित, धारा 2 के खंड (76) के उपखंड (ix), खंड (77) के उपखंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) तीसरा संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 में, नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (ज) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजन के लिए, प्रतिभूतियों की इलेक्ट्रानिक आधारित पेशकश, इसके अंशदान या विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 18 के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में प्रतिभूतियों के सूचीकरण को इस अधिनियम की धारा 2 के खंड (42) के प्रयोजन के लिए 'इलेक्ट्रॉनिक मोड' के रुप में नहीं माना जाएगा।"

[फा. सं. 1/23/2013-सीएल-V]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 238(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और संख्या सा.का.नि. 123(अ), तारीख 19 फरवरी, 2021 द्वारा इनमें अंतिम बार संशोधन किया गया।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2021

G.S.R. 539(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ix) of clause (76), sub-clause (iii) of clause (77) of section 2, read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the **Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014** namely :-

1. **Short title and commencement**- (1) These rules may be called the Companies (Specification of definitions details) Third Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014, in clause (h) of sub-rule (1) of rule 2, the following explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- For the purposes of this clause, electronic based offering of securities, subscription thereof or listing of securities in the International Financial Services Centres set up under section 18 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005) shall not be construed as 'electronic mode' for the purpose of clause (42) of section 2 of the Act.".

[F. No. 1/23/2013-CL-V]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

IndiaCode

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 238(E), dated the 31st March, 2014 and were last amended vide number G.S.R. 123(E), dated the 19th February, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.05 22:02:16 +05'30'